न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 60 / 2019 GCMS NO 2019/00141
दायर दिनांक :– 25 / 10 / 2019
निर्णय दिनांक :– 08 / 09 / 2020

अनवान

श्री आसुराम पिता राजमल कलाल निवासी कलालों की आंती तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ, जिला राजसमन्द

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार देवगढ, जिला राजसमन्द नामान्तकरण संख्या 1573 तारीख 01.02.2019

उपस्थित :–
1– श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्ट
2–श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित कृषि भूमि आराजी नं 41 / 1 रकबे 5 बीघा भूमि किस्म मंगरी श्री आसुराम पिता राजमल कलाल, उम्र वयस्क निवासी कलालों की आंती तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि को बिलानाम काबिल काश्त से आसुराम पिता राजमल कलाल गैरखातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 07.09.2018 को रिव्यु करने से गैर खातेदारी से अधिकारों को निरस्त करते हुए पुनः भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त हक से दर्ज करने सम्बन्धित नामान्तकरण संख्या 1573 दिनांक 01.02.2019 से पिडित होकर यह अपील पेश की गई है। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के

अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित कृषि भूमि आराजी नं 41/1 रकबा 5 बीघा भूमि किस्म मंगरी बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज थी। श्री आसुराम पिता राजमल कलाल, उम्र वयस्क निवासी कलालों की आंती तहसील देवगढ ने बिलानाम काबिल काश्त में दर्ज भूमि आराजी नम्बर 41/1 रकबा 5 बीघा भूमि पर गैरखातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार,देवगढ़ द्वारा अपने अधिनस्थ राजस्व कार्मिक पटवारी हल्का लसानी को अपने पत्र क्रमांक राजस्व/18/467 दिनांक 07.09.2018 में उपखण्ड अधिकारी भीम के द्वारा जारी आदेश क्रमांक /28/1989 दिनांक 3.05.1990 की पालना में प्रार्थी आसूराम पिता राजमल कलाल निवासी कलालों की आंती के आ0 न0 41 रकबा 5 बीघा भूमि वर्ष 1989 में आवंटन हुई लेकिन राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं की गई। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में बाद जांच कर अमल दरामद किया जाकर रिपोर्ट पेश करें। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्री आसुराम पिता राजमल कलाल, उम्र वयस्क निवासी कलालों की आंती तहसील देवगढ के नाम पर बिलानाम काबिल काश्त से गैरखातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 07.09.2018 को दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में श्री आसुराम पिता राजमल कलाल, उम्र वयस्क निवासी कलालों की आंती तहसील देवगढ को गैरखातेदारी में अमलदरामद किया गया और नामान्तकरण संख्या 1547 दिनांक 25.09.2018 को स्वीकृत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट श्री आसुराम पिता राजमल कलाल, उम्र वयस्क निवासी कलालों की आंती तहसील देवगढ को बिलानाम गैर काबिल काश्त से गैरखातेदारी अधिकार देने का जो आदेश दिया उसे रिव्यु करने बाबत् किसी भी प्रकार का सूचना पत्र जारी किये बिना अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2018/84 दिनांक 16.11.2018 के द्वारा पटवारी हल्का लसानी को आवंटनशुदा भूमि को पुन राजस्व रेकार्ड में बिलानाम अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतू लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार देवगढ द्वारा नामान्तरण संख्या 1573 दिनांक 01.02.2019 को स्वीकृत किया। अपीलान्ट इस आराजी भूमि का गैरखातेदार था और इस भूमि से सम्बन्धित समस्त गैरखातेदारी अधिकार अपीलान्ट में निहित थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद आराजी संख्या 41/1 का नामान्तकरण संख्या 1573 दिनांक 01.02.2019 को श्री आसुराम पिता राजमल कलाल, उम्र वयस्क निवासी कलालों की आंती तहसील देवगढ के नाम से पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त करने को जो आदेश दिया है । वह अल्ट्रावायरस होकर काबिल खारीज है। तहसीलदार देवगढ ने बिना आधार के मात्र लोगो की शिकायत को आधार बना कर तथा राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में हुऐ प्रकाशन तथा ब्लॉक कॉग्रेंस कमेटी की शिकायत को आधार मानकर पूर्व में पटवारी रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच पर दिये गैरखातेदारी अधिकार को निरस्त करने में गम्भीर त्रुटि की है। तहसीलदार को स्वयं के आदेश को रिव्यू करने का भी कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये ।

1. 2010 एलर्सआई पेज 526
2. सुभाष चन्द्र बनाम राजस्थान राज्य आदेश दिनांक 08.08.2011
3. आरआरटी 2011 पेज नम्बर 408
4. आरएलडब्लयु 2005 पेज 131
5. आरएलडब्लयु 2003 पेज 509
6. आरआरडी 2018 पेज 395

7. डीएनजे 2013 पेज 171
8. आरआरटी 2012 पेज 622
9. आरआरटी 2014 पेज 1220
10. आरआरटी 2007 पेज 125
11. डीएनजे 2018 पेज 1422

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस उक्तानुसार दृष्टान्त पेश करते हुये निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश काबिल निरस्त है, नामान्तकरण संख्या 1573 दिनांक 01.02.2019 निरस्त किया जाकर पुनःभूमि अपीलाण्ट के नाम गैरखातेदारी दर्ज फरमाई जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली में तहसीलदार द्वारा बिलानाम गैर काबिल काश्त से गैरखातेदारी अधिकार देने की मूल पत्रावली एवं उसमें संलग्न हल्का पटवारी एवं गिरदावर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा गैरखातेदारी अधिकार निरस्त करने की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भीम के पत्रांक /28/1989 दिनांक 3.05.1990 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भीम के आदेश के सन्दर्भ में, कार्यालय तहसीलदार, देवगढ के पत्रांक राजस्व/18/467, दिनांक 07.09.2018 द्वारा तहसीलदार,देवगढ़ ने अपने अधिनस्थ राजस्व कार्मिक पटवारी हल्का लसानी को प्रार्थी आसूराम पिता राजमल कलाल निवासी कलालों की आंती के आ0 न0 41 रकबा 5 बीघा भूमि वर्ष 1989 में आवंटन हुई को प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में बाद जांच कर अमल दरामद किया जाकर रिपोर्ट पेश निर्देशित किया। पटवारी हल्का लसानी द्वारा नामान्तकरण संख्या 1547 के कॉलम संख्या 14 में उक्त आदेश का अंकन कर तहसीलदार देवगढ के समक्ष प्रस्तुत किया जिसको तहसीलदार देवगढ द्वारा दिनांक 25.09.2018 को स्वीकृत कर बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि आ0 न0 41/1 रकबा 5 बीघा भूमि को प्रार्थी आसुराम पिता राजमल को गैर खातेदारी अधिकारी प्रदान किये। जिसका राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद हुआ।

यहां पर उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि इस प्रकरण में आराजी भूमि का बिलानाम गैर काबिल काश्त से गैरखातेदारी अधिकार देकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने वाले राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी भी वहीं है जिन्होने गैरखातेदारी अधिकारों का अंकन, प्रमाणन एवं स्वीकृत किया है। इस प्रकार बिलानाम गैर काबिल काश्त को गैरखातेदारी अधिकार दिये जाने एवं उसमें राजस्व रेकार्ड में अंकन करने तक किसी प्रकार का संशय, भ्रम एवं विधि की अवहेलना करना प्रकट नहीं होती है। यहां तक विधि सम्मत प्रकिया अपनाई गई है। जिस पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है।

परन्तु इन्ही प्रकरणों में समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों से शिकायत का जब तहसीलदार देवगढ को ज्ञान होता है तब उसके द्वारा जो कार्यावाही अपनाई गई है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। इसके अवलोकन एवं अपीलान्ट को सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार देवगढ द्वारा आनन फानन में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। यहां पर यह विवेचन करना भी उचित होगा कि अगर तहसीलदार देवगढ को किसी माध्यम से अपने द्वारा बिलानाम गैर काबिल काश्त से गैरखातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु अपनाई गई प्रकिया पर संदेह होता तो उन्हे इस सम्बन्ध में उच्चतर राजस्व न्यायालय में अपील/निगरानी पेश करनी चाहिए थी। यहां पर यह भी उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा इस प्रकरण में बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि को गैरखातेदारी अधिकार दिये जाने से पहले हल्का

CK

पटवारी एवं सम्बन्धित गिरदावर से रिपोर्ट ली गई तथा तहसीलदार द्वारा जॉच कर सन्तुष्टी होने के उपरान्त गैरखातेदारी अधिकार देने का निर्णय पारित किया गया है। जिसकी पालना में राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अधिकार का अंकन किया गया है। इस प्रकार इस आराजी में तहसीलदार देवगढ द्वारा आनन फानन में , बिना किसी विधिक कारण के, बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये समाचार पत्रों में छपी खबर व ग्रामवासियो एवं अन्य सगंठनों द्वारा दिये गये ज्ञापन के आधार पर प्रकरण की पुनः समीक्षा कर पटवारी हल्का लसानी को पत्रं क्रमांक राजस्व/2018/84 दिनांक 16.11.2018 को आवंटनशुदा भूमि को पुनः राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम दर्ज करने बाबत् आदेश दिया जो विधि विरूद्ध है।

उक्तानुसार समस्त प्रक्रिया विधि विरूद्ध एवं आरम्भ से शून्य होने के कारण तहसीलदार देवगढ का आदेश दिनांक 16.11.2018 आरम्भ से ही निष्प्रभावी है। यहां पर यह भी विवेचना का विषय है कि राजस्व रेकार्ड में किसी भी परिवर्तन के लिए किसी विधिक आधार अथवा विधिक कारण कि आवश्यकता होती है। अर्थात् बिना किसी विधिक आधार एवं विधिक कारण के राजस्व रेकार्ड में किसी के गैरखातेदारी अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चूंकि तहसीलदार देवगढ द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान एवं बिना किसी विधिक कारण के ही दिनांक 01.02.2019 को नामान्तरण संख्या 1573 स्वीकृत करके अपीलान्ट के गैरखातेदारी अधिकार समाप्त करके बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज किये गये है, जो कि विधि का घोर उल्लंघन है। क्योंकि अपीलान्ट इस भूमि का गैरखातेदार हैं। तथा दिनांक 25.09.2018 को नामान्तरण संख्या 1547 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में इसके गैरखातेदारी अधिकारों का अंकन है, जिसे बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रावधान के तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट के गैरखातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार देवगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1573 दिनांक 01.02.2019 भी अपास्त किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2018 आरम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं शुन्य होने के कारण उसके द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1573 दिनांक 01.02.2019 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ पालनार्थ लौटायी जावे।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 08.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द